9/12/17 मजावरी लोक अदालत का आयोजन के लिए हुई। वकील आदि। पार्टी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि वाहनों को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा नोटबुक के रजिस्टर कर दी जाये। क्योंकि पार्टी द्वारा अतिरिक्त नोटबुक का प्रयोग कर हस्ताक्षर किये जाने पर पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 138/16 नोटबुक के रजिस्टर किया जाता है। मजावरी लोक सुलह होकर नस्ती के काबिल है।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner